

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(8)

पत्रांक : 19/प्र0310-भवन/जोन-2/शमन/2014-15 दिनांक 30/12/2014


विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उपरोक्त नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत की जा रही है, किन्तु उर्थ यह न समझना चाहिये कि तब पूर्व के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय शमन निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निमित्त या स्थानों के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजीव राज अग्रवाल पुत्र स्व० पुरुषोत्तम दास अग्रवाल द्वारा भवन सं०-51/36 एच0सी0 वास्तु रोड, परगना न तहसील-रादर, जिला इलाहाबाद जैन संख्या (2) के अन्तर्गत दायित्व विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उपरोक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्राप्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उत्सर्ग/अधिकृत किया जायेगा भवन निर्माण एवं विकास संबंधित 2008 में तय कीये संख्या-7.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्राप्त पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्त (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक **Mandatory Clearances/N.O.C** की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किया जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 02 अक्षर वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. मानचित्र में दर्शित उत्सर्ग योग्य भाग (Red Colour) को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कुशल इन्जीनियर की देख-रेख में सजावट करवाना होगा तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी प्रकार का जल-प्रदूषण भी हासिल न हो सके अन्तर्गत आवेदक स्वतः जिम्मेदार होंगे। इस हेतु दिने 30 अक्षर पत्र दिनांक 17.12.2014 का अनुपालन वास्तविक होगा।
5. स्थल का अधिनियम/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही नियमानुसार पूर्णता प्राप्त पत्र प्राप्त करना होगा प्राथमिक शमन डेसिगनेट में स्टैड, स्टिचट पार्किंग, प्रधान एवं द्वितीय तल पर शॉप, तथा तृतीय तल पर आवासीय निर्माण/उपयोग हेतु अनुमति है।
6. रेगुलटर इन्फेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण करवाकर 50 गर्द जल बोर्ड (रिजिडर टैक्निक) की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही एच0सी0आर0 अनुमति किया जायेगा।
7. डेसिगनेट के अर्थ/विवरण वाले भाग में मिट्टी बरसाई का कार्य एक माह के अन्दर कर लिया जाय।
8. माननीय न्यायालय ने कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति शू. स्थायित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। शू-स्थायित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्रधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उपरोक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने को-र होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आस-पास, मुक्त भाग अथवा उसके आकार के कारण एक गर्द हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने स्वयं से सम्मत करवाकर पूर्णता अवस्था तिराके विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 (इंफेडेशन इन्फेडिग सेटी क्लस् 1965) नियम 32 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटान सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को नामन की नौव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान अन्वय होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशन में मकान निर्माता हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होगा पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो गर्डे स्वीकृति एवं समाप्त करनेवाली और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर तब अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

र. राजीव राज अग्रवाल


 (पुष्कर श्रीवास्तव)
 प्रभारी अधिकारी (उपरोक्त-2)

